





न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

नं०	फर्द अहकाम	
21/5/18	<p>मु० न० 59/18 तारीख रजु 21.5.18 उतपान:- बीरबाई 4/5 छुडन मीना दावा वावत स्पाई निवेदाळा प्रार्थीया की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट की ने दावा वावत स्पाई निवेदाळा अदालत द्वारा RTA अ० 188 प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरूर सम्मन तलब कर पठावकी दिनांक:- 11-6-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	
11.6.18	<p>प्रार्थीया वकील उप०। प्रतिवादी गण के लफ्तन विधिवत लक्षित नहीं करे गये थे आर्डर पुनः तलपाना पेश करे दिनोक्त 16.7.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
16.7.18	<p>प्रार्थीया वकील उप०। P.O ला. बाट पधारे की गतानुसार दि० 13.8.18 को पेश हो।</p>	
13.8.18	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी गण की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा A.W. ने वकालतनामा पेश किया। शामिल रहे। जबाब पेश कने दि० 7.9.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	
29.8.18	<p>वकुलाय उप०। जबाब पेश कने दि० 9-10-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
23.12.19	<p>वादी वकील उपस्थित / वादी वकील ने वादी साक्ष्य पेश करने के लिए पुनः एक मोरा डोर जाटा / इनकी दलील सुनकर न्यायास्थिति में एक मोरा भेजा जाता है वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 9.1.20 को पेश हो।</p>
9.1.20	<p>वकूलाय स्थित/पीठासन अधिकारी - पत्रावली में पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 10.2.20 को पेश हो।</p>
10.2.20	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है। कई बार रुक-रुक कर सावाज दिलवाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी ने से कोर्ट उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम एजिरी एवं अदम पैरवी में खासिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार लेकर नम्बर से कम होकर दारिखत दफतर हो।</p> <p>उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>

